रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML-2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 19 अगस्त, 2005/28 श्रावण, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी (हि० प्र०)

कार्यालय आदेश

मण्डी, 5 अगस्त, 2005

संख्या 3429-35.—यह कि श्री राजेन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत भाम्बला की मुहाल भाम्बला/463 में स्थित राज्य सरकार की भूमि खसरा नम्बर 183/1, रकबा तादादी 00-00-20 हैक्टेयर पर नाजायज कब्जा की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। और यह कि दोषी प्रधान के विरुद्ध सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) बलद्वाड़ा के न्यायालय में मिसल संख्या 15/2003 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा बारे सुनवाई की गई तथा दिनांक 5-5-2004 को जारी फैसला के अन्तर्गत उक्त श्री राजेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री रौठल को सरकारी भूमि खसरा नम्बर 183/1, तादादी 0-0-20 हैक्टेयर स्थित मुहाल भाम्बला/463 से हि० प्र० राजस्व अधिनियम, 1953 (एक्ट नम्बर 6 आफ 1954) की धारा 163(1) के अन्तर्गत बेदखल करने का आदेश जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र सिंह, प्रधान को हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (ग) व 122(2) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त श्री राजेन्द्र सिंह, प्रधान ने दिनांक 9-8-2004 को प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस के उत्तर में व्यक्त किया कि उसने सरकारी भूमि से बेदखली के फैसले के विरुद्ध हि० प्र० राजस्व भूमि अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत अपील दायर की है तथा माननीय सिविल न्यायालय सरकाघाट में भी

1822-राजपत्र/2005-19-8-2005—1,460. मूल्य : 1 रुपया

निशानदेही हेतु अपील की है और उन दोनों मामलों में स्थगनादेश जारी हुए हैं । लेकिन उप-मण्डलाधिकारी (ना0) सरकाघाट से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा दायर अपील का इस आधार पर निपटारा किया जा चुका है कि उसने वर्णित सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटा दिया है । माननीय सिविल जज सरकाघाट के न्यायालय में दायर अपील संख्या 30/04 को भी दिनांक 14-12-2004 को जारी फैसले के अनुसार अपीलकर्ता के उपस्थित न होने के कारण खारिज कर दिया गया है तथा इस मामले में सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) बलद्वाड़ा द्वारा दिनांक 5-5-2004 को जारी फैसले के विरुद्ध कोई भी अपील विचाराधीन नहीं है तथा कोई भी जारी स्थगनादेश शेष नहीं है ।

और यह कि ऊपरवर्णित तथ्यों के आधार पर श्री राजेन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत मुहाल भाम्बला/463 में स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 183/1, तादादी 0-0-20 हैक्टेयर पर नाजायज कब्जा के दोषी पाये गये हैं और उन्हें सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) बलद्वाड़ा द्वारा जारी फैसला दिनांक 5-5-2004 के अन्तर्गत उक्त भूमि से बेदखल कर दिया गया है । श्री राजेन्द्र सिंह प्रधान ने भी दिनांक 9-8-2004 को दिए अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि उसने विवादित भूमि पर से नाजायज कब्जा छोड़ दिया है । इसलिए उक्त श्री राजेन्द्र सिंह पंचायत अधिकारी होने के लिए निर्रहित हो गए हैं ।

अतः मैं, सुभाशीष पाण्डा, उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0), हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(2)(ii) तथा 131 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राजेन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत भाम्बला, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) को उक्त कृत्य के लिए प्रधान पद से तुरन्त प्रभाव से निष्कासित करता हूं तथा ग्राम पंचायत भाम्बला के प्रधान का पद भी रिक्त घोषित करता हूं, और उन्हें यह निर्देश भी देता हूं कि यदि उनके पास पंचायत का कोई अभिलेख, धन, चल या अचल सम्पत्ति हो तो उसे तुरन्त ग्राम पंचायत भाम्बला के सचिव को सौंप दें ।

सुभाशीष पाण्डा,
भा0 प्र0 से0,
उपायुक्त, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश ।

कार्यालय उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

शिमला-2, 4 अगस्त, 2005

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (4)83-77-5088-92.—यह कि जिला शिमला के विकास खण्ड रामपुर की ग्राम पंचायत शोली द्वारा निष्पादित विकास कार्यों में हुई अनियमितताओं एवं धन के दुरुपयोग बारे प्राप्त शिकायत पत्र की छानबीन खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर से करवाई गई । खण्ड विकास अधिकारी रामपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत शोली द्वारा निम्न वर्णित निष्पादित विकास कार्यों का मौका पर मूल्यांकन करवाने पर पाया गया कि इन विकास कार्यों का मूल्यांकन व्यय राशि से कम आंका जिसके लिये श्रीमती जिवनी देवी, प्रधान ग्राम पंचायत शोली दोषी है :—

क्रम संख्या	विकास कार्य का नाम	मदें	व्यय राशि	मूल्यांकित राशि	अधिक व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	नि0 रास्ता करालटा भरोग	जे0 आर0 वाई0	15996.00	15279.00	771.00
2.	नि0 रास्ता नोटी-करालटा	यथोपरि	7500.00	1180.00	6320.00
3.	सोलिंग ग्राम लोहटा	एम0 जी0 आर0 वाई0	19580.00	11041.00	8539.00
4.	नि0 रास्ता टाडा	जे0 आर0 वाई0	20000.00	8376.00	11624.00

यह कि उपरोक्त क्रम संख्या 1 ता 4 पर वर्णित विकास कार्यों पर पंचायत पदाधिकारियों द्वारा व्यय मूल्यांकित राशि से अधिक करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, जबकि प्रत्येक विकास कार्यों को पूर्ण करने व राशि के सही उपयोग का दायित्व प्रधान का होता है।

यह कि सौलिंग ग्राम लौहटी के लिये सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला परिषद ने मु0 20,000.00 रुपये स्वीकृत किये थे, किन्तु पंचायत ने इस योजना के बजाए कुपड से खदेच व चौकी नामक स्थान से लौहटी गांव तक पैदल चलने योग्य रास्ते की मुरम्मत का कार्य किया गया है, जबकि जांच रिपोर्ट में जो मस्ट्रोल जारी किये गये है वह सौलिंग ग्राम लौहटी के नाम से है, इस कार्य के निष्पादन पर व्यय 19580.00 रुपये उल्लेखित किये गये हैं, जबकि मूल्यांकन करने पर इसका मूल्यांकन 11041.00 रुपये आंका गया है। इस प्रकार इस कार्य पर मु0 8539 रुपये अधिक व्यय अनियमित रूप व मनमाने ढंग से किया गया है।

इस प्रकार उपर वर्णित निर्माण विकास कार्यों का मूल्य व्यय राशि से मु0 38241.00 रुपये कम आंका गया है, जिससे स्पष्ट होता है उपर्युक्त राशि का दुरुपयोग पंचायत पदाधिकारियों द्वारा प्रधान की लापरवाही के कारण किया है। इसके अतिरिक्त प्रधान द्वारा स्वीकृत योजना को मनमाने ढंग से बदल कर राशि को अन्य कार्यों पर खर्च किया गया है, जिसके लिये श्रीमती जिवनी देवी प्रधान ग्राम पंचायत दोषी पाई गई हैं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों को भली भांति निभाने मे भी विफल रही हैं।

अतः मैं एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिनों के भीतर-भीतर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। विहित अवधी के भीतर आपका लिखित उत्तर प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष मे कुछ नहीं कहना है और आपके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

हस्ताक्षरित/-
एस0 के0 बी0 एस0 नेगी,
उपायुक्त,
शिमला, जिला शिमला।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित